भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 145

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

.....

भूजल निकासी हेतु एनओसी

145. प्रो. अच्युतानंद सामंत:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा देश में भूजल निकासी को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए अधिसूचित किये गये नये दिशा-निर्देशों के अनुसार, भूजल के अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों में किसी भी नये उद्योग को भूजल निकासी के लिए अनापति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रदान नहीं किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को इससे मुक्त रखे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की उपयोग के लिए अनुपयुक्त भूजल को पुन:चक्रित और उसक पुन:उपयोग करने हेतु उद्योगों को प्रोत्साहन दिये जाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की भूजल स्तर का मापन करने के लिए किसी दैनंदिन (रियल टाइम) निगरानी तंत्र का उपयोग करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेंद्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

(क): दिनांक 24.09.2020 के अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार, अति-दोहित आकलन यूनिटों में, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की श्रेणी में आने वालों को छोड़कर किसी नए उद्योग को भूजल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अति-दोहित क्षेत्रों में नए पैकेज्ड जल उद्योगों को एनओसी नहीं दिया जाएगा, भले ही वे एमएसएमई श्रेणी से संबंधित हों।

(ख): एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी उद्योगों को एनओसी प्राप्त करने से छूट नहीं है। तथापि, देश के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने तथा प्रेरित करने के लिए 10 सीयूएम/दिन से कम भूजल निकालने वाले लघु तथा माइक्रो उद्यमों (एसएमई) को छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, छूट दी गई छोटी मात्रा से किसी क्षेत्र विशेष में समग्र भूजल परिदृश्य प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा, एसएमई की श्रेणी में आने वाले उद्योगों की बड़ी संख्या को देखते हु , उक्त श्रेणी में भूजल निकासी का विनियमन व्यावहारिक तथा कार्यान्वयन योग्य नहीं होगा।

(ग): दिशा-निर्देशों में उद्योगों द्वारा खारिज जल के पुनः उपयोग के लिए कोई विशिष्ट प्रोत्साहन नहीं है। तथापि, पुनःचक्रित जल के ज्यादा प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देशों में अप्रत्यक्ष लाभ शामिल किया गया है क्योंकि परियोजना प्रस्तावकों को ताजे जल की घटी हुई आवश्यकता (शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग के कारण) के लिए भूजल निकासी/बहाली प्रभारों के लिए कम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, दिशा-निर्देशों में भूजल संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए भूजल का उपयोग करने वाले सभी उद्योगों द्वारा नवीनतम जल दक्षता प्रौद्योगिकियों के उपयोग की शर्त है। इसके अलावा, भूजल की निकासी करने वाले सभी उद्योगों से अगले तीन वर्षों में उपयुक्त माध्यम से उनके भूजल उपयोग में न्यूनतम 20 प्रतिशत कम करना अपेक्षित है।

(घ): भूजल विनियमन दिशा-निर्देशों में परियोजना प्रस्तावों द्वारा भूजल स्तरों की मॉनीटरिंग के लिए व्यापक कार्यतंत्र का प्रावधान है। 50 सीयूएम प्रति दिन से अधि भूजल निकालने वाले प्रस्तावकों को भूजल की रीयल टाइम मॉनीटरिंग के लिए डिजिटल जल स्तर रिकार्डर (डीडब्ल्यूएलआर) स्थापित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, 500 सीयूएम प्रतिदिन से अधिक भूजल निकालने वाले प्रस्तावों को टेलीमेटरी प्रणाली के साथ डीडब्ल्यूएलआर स्थापित करना आवश्यक है।

इसके अलावा, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की देश के जल की कमी वाले कुछ क्षेत्रों में भूजल संसाधनों की रीयल टाइम मॉनीटरिंग के लिए टेलीमेटरी प्रणाली के साथ डीडब्ल्यूएलआर स्थापित करने की योजना है।

*****